भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5309

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में वर्षा जल संचयन

5309. श्री बालक नाथ:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश विशेषकर राजस्थान में वर्षा जल के संचयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन हेतु चैक बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी गाद निकालने हेतु कोई कार्य/परियोजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(घ) खनन और पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) माननीय प्रधान मंत्री ने 08.06.2019 को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने का आह्वान किया है।

11.6.2019 को हुई एक बैठक में जल शक्ति मंत्री द्वारा भी संबंधित मंत्रियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ स्थायी जल प्रबंधन वे मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

सचिव (ज.सं.न.वि. और गं.सं.) की अध्यक्षता में 'मानसून वर्षा के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों' के विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक 'अंतर मंत्रालयी समिति' का गठन किया गया है, जो समय-समय पर जल संरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक करती है। इस समिति में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हैं। अंतर मंत्रालयी समिति की पिछली बैठक 01.05.2019 को हुई थी।

मंत्रिमंडल सचिव ने 21.05.2019 को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जल संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है जो मिशन मोड पद्धति के साथ चलाए जाने वाला समयबद्ध अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में 256 जिलों, राजस्थान के 29 जिलों सहित, में

जल के दबाव वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थितियों सहित जल उपलब्धता में सुधार करना है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों का एक दल, जल के दबाव वाले जिलों का दौरा करने और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि मांग और आपूर्ति के संबंध में उपयुक्त कार्य-कलाप किए जा सकें।

जल, एक राज्य विषय होने के कारण, देश में भूजल के संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन पर पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर हैं:-
http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किए गए हैं जिसमें 'वर्षा जल संचयन' पर एक अध्याय शामिल है। इस अध्याय के उपबंध सभी इमारतों पर लागू होते हैं। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्षा जल संचयन के प्रावधान अपना लिए हैं। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र में आता है।

केन्द्र सरकार मुख्यत: महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) तथा पीएमकेएसवाई-हर बूंद से अधिक फसल के माध्यम से जल संचयन संरचनाओं के निर्माण तथा संरक्षण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान 23435.67 करोड़ रूपए के व्यय से 17,56,207 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है राजस्थान में इन स्कीमों के अंतर्गत 1972.93 करोड़ रूपए के व्यय के साथ 93,689 संरचनाओं का निर्माण किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- हर खेत को पानी-जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) स्कीम के अंतर्गत मार्च, 2019 तक राज्यों को कुल 369.11 करोड़ रूपए की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

"मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए)" को राजस्थान सरकार द्वारा जल के संरक्षण हेतु विभिन्न स्कीमों को कवर करने तथा उन्हें एक एकल मंच पर लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) ने इस परियोजना के लिए दिनांक 25.09.2017 को जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के द्वारा 24,97,75,000.00 रूपए का अनुदान मंजूर किया।

*****